# इच्छामृत्यु

//

Drishti IAS

# इच्छामृत्यु (Euthanasia)

## के बारे में

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा; एक लाइलाज स्थिति/असहनीय दर्द से राहत पाने के लिये

## सक्रिय इच्छामृत्यु ( Active Euthanasia )

- किसी पदार्थ अथवा या बाह्य बल की सहायता से एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, ( जैसे - किसी घातक इंजेक्शन द्वारा )

## निष्क्रिय इच्छामृत्यु ( Passive Euthanasia )

- मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाले आवश्यक जीवन समर्थ/उपचार को हटा देना

## पक्ष में तर्क

- रोगी की पसंद की स्वतंत्रता
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार
- पीड़ा को समाप्त करने की दृष्टि से अधिक मानवीय
- रोगी के प्रियजनों के दुःख को कम करता है

## विरुद्ध तर्क

- नैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य
- इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया को उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है
- अपराधबोध से ग्रस्त रोगी सहमति देने के लिये स्वयं को बाध्य महसूस कर सकते हैं

## इच्छामृत्यु - भारत में वैधता

### पी. रथिनम बनाम भारत संघ ( 1994 )

- सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 309 ( आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

### श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य ( 1996 )

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि जीवन के अधिकार ( अनुच्छेद 21 ) में मरने का अधिकार शामिल नहीं है ( जिसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये )

### अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ ( 2011 )

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' के बीच अंतर स्थापित किया और "कुछ स्थितियों" में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

### कॉमन कॉज बनाम भारत संघ व अन्य ( 2018 )

- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु/पैसिव यूथेनेशिया को यह दावा करते हुए वैध कर दिया कि यह 'लिविंग विल' ( एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है ) रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर है
- यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है, तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये अनुमति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

**हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' ( 2018 के मामले में निर्धारित ) के लिये मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/euthanasia-6